Impact Factor-7.675 (SJIF)

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed & Refreed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

Human Rights : Reality & Challanges

SPECIAL ISSUE

December-2020

Chief Editor
Prof. Virag S. Gawande
Director
Aadhar Social
Research & Development
Training Institute Amravati

Editor:
Dr. Sandip B. Kale
Coordinator
HOD. Dept. Of Political Science
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo
Dist. Wardha

Executive Editor:
Dr. Archana S. Dahane
Officiating Principal
Yeshwant Mahavidyalaya Seloo
Dist. Wardha

This Journal is indexed in :
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadharsocial.com

Aadhar Publications

B.Aadhar International Peer-Reviewed Indexed Research Journal
Impact Factor - ((SJIF) –7.675, Issue NO, 259
ISSN : 2278-9308
December,2020

46	मानवी हक्क आणि बाल मजूर — प्रा. डॉ. संध्या चर्जन	209
47	स्त्रीहक्क आणि हिंसेचे वास्तव — डॉ. रिता धांडेकर	215
48	बालकामगार व मानवी हक्क — प्रा. डॉ. मंजुषा ह. धापुडकर	219
49	आदिवासी समाज आणि मानवाधिकार — डॉ. हिरांचद वेस्कडे / प्रा. विलास विश्वनाथ मेश्राम	221
50	महिला सबलीकरण आणि त्यांचे मानवी हक्क — डॉ. राजेद्र कोरडे	232
51	How Tribes of Jharkhand can ensure their Human Rights are Recognised and Protected — Dr.SM Wagh / Satyendra Kumar	234
52	मूल अधिकार — प्रा डॉ कुलकर्णी वनिता बाबुराव	237
53	महिला आणि मानवाधिकार — डॉ. मनिषा दत्तात्रय पवार	240
54	भारतीय संविधान आणि मानवी हक्क — श्री. निलेश नरेंद्र खैरनार	243

B.Aadhar International Peer-Reviewed Indexed Research Journal
Impact Factor - ((SJIF) –7.675, Issue NO, 259
ISSN : 2278-9308
December,2020

Dist. Parbhani

मूल अधिकार

प्रा डॉ कुलकर्णी वनिता बाबुराव
हिंदी विभाग प्रमुख कै रमेश वरपुडकर महाविद्यालय ता सोनपेठ जी परभणी Pincode-431516
मो क्र-9423138878

प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक जीवन में मूल अधिकार एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। वर्तमान के इस प्रजातांत्रिक युग में अधिकारों का महत्व कुछ कम नहीं है ,बल्कि और भी अधिक बढ़ जाता है। क्योंकि वही राज्य एक उत्तम राज्य समझा जाता है जो अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार प्रदान करता है ।किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं के समक्ष देश की एकता ,अखंडता ,मानवीय गरिमा को स्थापित करने तथा लोगों में परस्पर विश्वास बहाल करने की चुनौती थी। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए संविधान निर्माताओं ने सार्वभौमिक अधिकारों की व्यवस्था की। संविधान के भाग -3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक उपलब्ध अधिकार को मूल अधिकारों की संज्ञा दी गई ।प्रो. लास्की के शब्दों में सामाजिक जीवन की उन अवस्थाओं को अधिकार कहा जाता है जिनके बिना सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने पूर्ण विकास की उच्चता तक नहीं पहुंच सकता।मैकन के मतानुसार अधिकार सामाजिक कल्याण की कुछ लाभदायक परिस्थितियां है जो नागरिकों के यथार्थ विकास के लिए अनिवार्य है।

मूल अधिकार से तात्पर्य -

मूल अधिकारों से तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्शों की उन्नति से है यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इनके प्रावधानों का उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना है न कि व्यक्तियों का ।

संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है इनमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता ,सम्मान ,राष्ट्र हित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है ।ये विधि के मूल सिद्धांत है।ये मूल इसलिए भी है क्योंकि व्यक्ति के चहुॅमुखी विकास (भौतिक, बौद्धिक ,नैतिक एवं आध्यात्मिक) के लिए आवश्यक है।

आधुनिक युग में लगभग संपूर्ण नवीन रचित संविधानोमें व्यक्तियों के अधिकारों का विवरण है। संविधान में लिखित इन्हीं आधारों को मूल अधिकारों के नाम से पुकारते हैं ।संविधान किसी भी राज्य का सर्वोच्च नियम माना जाता है। कोई भी सरकार इसका उल्लंघन नहीं कर सकती ।संभवतः सरकार की निरंकुशता और मनमानी को रोकने हेतु ही अधिकारों को संविधान में स्थान दिया जाता है ।जैसा की मेडिसन ने लिखा है कि "पृथ्वी पर सभी सरकारों के खिलाफ मूल अधिकारों की प्राप्ति का अधिकार जनता को है। किसी भी न्यायप्रिय सरकार को इसका निषेध नहीं करना चाहिए|" 1 इस दृष्टि से संवैधानिक राज्यों में न्यायपालिका का महत्व दिन— प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है ।न्यायपालिका को संविधान का रक्षक कहा जाता है ।

Late Ramesh Warpudkar (ACS) College, Sonpeth Dist. Parbhani

संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार —

- समता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

सत्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि ,नागरिक की वास्तविक आजादी व स्वतंत्रता का साधन कानून है ।और इस आशय में चूँकि राज्य ही कानूनों का निर्माण करता है अतएव वही व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करता है ।परंतु यह भी सत्य है कि दूसरी तरफ यह कानून राज्य की शक्ति को सीमित कर देता है क्योंकि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के हितों की रक्षा करना है ।व्यक्ति के अधिकार निरंकुश नहीं हो सकते चूकि उनका संबंध सामान्य —हित से होता है अधिकारों का आधार नैतिकता होती है एवं नैतिकता की कसौटी भी सामान्य हित ही है ।अधिकार समस्त व्यक्तियों के लिए समान होते हैं।

मूल अधिकारों का महत्व —

- ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करते हैं ।
- येवयक्तिक स्वतंत्रता के रक्षक है ।
- देश में विधि के शासक की व्यवस्था करते हैं ।
- सामाजिक समानता एवं सामाजिक न्याय की आधारशिला रखते है ।
- ये अल्पसंख्यकों एवं समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। 2

मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है वही मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। "सामान्य अधिकारों को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकती है लेकिन मौलिक अधिकारों में परिवर्तन के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। इसके अलावा सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करा सकता |" 3 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देशी राज्यों के भारतीय गणतंत्र में विलय हो जाने से देश की राजनीतिक एकता एक शीर्ष शासन —व्यवस्था के द्वारा और भी दृढ़ हो गई "यह सत्य है कि प्राचीन काल में देश की विशालता यातायात के सुगम साधनों के अभाव तथा विकेंद्रीकरण की प्रवृत्तियों के कारण पूर्ण राजनीतिक एकता स्थापित न हो सकी परंतु राजाओं, राजनीतिज्ञों और लेखकों तथा विचारको में राजनीतिक एकता की भावना विद्यमान थी ।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनादि काल से ही इस देश के निवासी एकानुभूति के वातावरण में रहते आए हैं |" 4 अधिकारों के द्वारा व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करता है, इसी आशय में इन्हें प्राकृतिक अथवा मूल अधिकार कहा जा सकता है ।इनके आधार पर ही व्यक्ति पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अतएवं इन्हें संविधान में उचित स्थान प्रदान करके ही विशेष महत्व दिया जाता है ।इसका मूल कारण यह है कि राज्य के अन्य कानूनों द्वारा उनकी अवहेलना नहीं की जा सकती ।अगर किसी राज्य के कानून तथा मूल अधिकारों में विवाद होता है तो ऐसी दशा में कानून को रद्द कर दिया जाता है और मूल अधिकार को उचित ठहराया

जाता है ।लगभग प्रत्येक लिखित संशोधित संविधान में व्यक्तियों के मूल अधिकारों को आलेखबद्ध किया गया है ।इन "लिखित संविधान के अधिकारों को राज्य समाप्त नहीं कर सकता ।यदि राज्य कानून के द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर आक्रमण करता है तो नागरिक न्यायपालिका की मदद ले सकता है एवं न्यायपालिका का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करें|" 5

संविधान मानवीय संबंधों का एक संकलन है मानवीय संबंध विशेष रूप सेतीन तरह के होते हैं — मनुष्य का मनुष्य से संबंध ।,मनुष्य का राज्य से संबंध ,राज्य के अंगो का पारस्परिक संबंध ।संविधान इन तीनों संबंध सूत्रों को नियंत्रित करने वाले नियमों की तालिका है। इस प्रकार से मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है मौलिक अधिकारों का विषय व्यक्ति है मौलिक अधिकार नागरिकों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास करने के अधिकार है ।मौलिक अधिकार मुख्यतः विभिन्न स्वतंत्रता ओं पर बल देते हैं। मौलिक अधिकारों का कानूनी महत्व है। "संविधान में व्यक्त समानता का अधिकार भारत गणराज्य में लोकतंत्र की संस्था के प्रति एक ठोस कदम के रूप में है ।भारतीय नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों के माध्यम से आश्वासन दिया जा रहा है कि वे जब तक भारतीय लोकतंत्र में रहेंगे तब तक वे अपने जीवन के सद्भाव में जी सकते हैं|" 6 हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संविधान में मौलिक अधिकारों का स्थान सर्वोपरि है मौलिक अधिकार न केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं ,वरना उन्हें समानता का अवसर भी प्रदान करते हैं।ये अधिकार राज्य और व्यक्ति के बीच व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ।राज्य की आधारशिला है राष्ट्रीय एकता ,समानता तथा शक्ति में वृद्धि करते हैं।

सन्दर्भ -

1) संविधान और सरकार - बी.सी.नरूला पृ.क्र 32
2) www.drishtiipas.com
3) भारत का संविधान सिद्धांत और व्यावहार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परीषद पृ 22 से 42
4) आजादी की 50 साल -विश्व प्रकाश गुप्त पृ 86
5)संविधान और सरकार - बी.सी.नरूला पृ.क्र 33
6)hindikiduniya.com

PRINCIPAL
Late Ramesh Warpudkar (ACS)
College, Sonpeth Dist. Parbhani